

प्रेषक,

सचिव,  
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन।

यू0एस0डी0एम0ए0

देहरादून, दिनांक 14 मई, 2020


विषय: **COVID-19** के दृष्टिगत फेस कवर एवं सामाजिक दूरी के अनुपालन किये जाने हेतु **The Epidemic disease Act 1897 and Regulation 2020** कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा आपको विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किये जाने के क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 प्रभावी किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव किये जाने के उद्देश्य से समस्त सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों द्वारा फेस कवर (Mask) का उपयोग एवं सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु The Epidemic disease Act 1897 and Regulation 2020 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने पर न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी को नामित किये जाने एवं जुर्माना राशि का निर्धारण करने हेतु कार्यवाही किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव